



रेलवे भर्ती सेल

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

अधिसूचना संख्या एनईआर/आरआरसी/एक्ट अप्रेंटिस/2023-24

दिनांक 25.11.2023

एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण अधिसूचना 2023-24

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि - 25.11.2023 (सुबह 10:00 बजे)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि - 24.12.2023 (शाम 05:00 बजे)

1. अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम, 1962 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम.सं	कारखाना / इकाई	कुल स्लॉट
1	यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर	411
2	सिग्नल कारखाना/गोरखपुर छावनी	63
3	पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी	35
4	यांत्रिक कारखाना/इज्जतनगर	151
5	डीजल शेड/इज्जतनगर	60
6	कैरिज & वैगन/इज्जतनगर	64
7	कैरिज & वैगन/लखनऊ जं	155
8	डीजल शेड/गोंडा	90
9	कैरिज & वैगन/वाराणसी	75
	कुल	1104

2. ट्रेड के अनुसार स्लॉट एवं एससी/एसटी/ओबीसी/ई.डब्ल्यू.एस./दिव्यांग (PwBD)/भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को मिलने वाले आरक्षण के बँटवारा का विवरण निम्नवत है-

Workshop/ Unit	Trade	UR	EWS	SC	ST	OBC	Total	Ex.S/Man	PwBD	Training Period
Mechanical Workshop Gorakhpur	Fitter	57	14	21	10	38	140	4	6	1 yr
	Welder	25	6	9	5	17	62	2	2	1 yr
	Electrician	7	2	2	1	5	17	1	1	1 yr
	Carpenter	36	9	13	7	24	89	3	3	1 yr
	Painter	35	9	13	7	23	87	3	3	1 yr
	Machinist	6	2	2	2	4	16	1	1	1 yr
	Total	166	42	60	32	111	411	14	16	
Signal Workshop Gorakhpur Cantt	Fitter	13	3	5	2	8	31	1	2	1 yr
	Machinist	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Welder	3	1	1	1	2	8	0	0	1 yr
	Carpenter	2	0	0	0	1	3	0	0	1 yr
	Turner	7	1	2	1	4	15	0	1	1 yr
	Total	27	6	9	4	17	63	1	3	
Bridge Workshop Gorakhpur Cantt	Fitter	9	2	3	2	5	21	1	1	1 yr
	Machinist	2	0	0	0	1	3	0	0	1 yr
	Welder	5	1	2	1	2	11	0	0	1 yr
	Total	16	3	5	3	8	35	1	1	
Mechanical Workshop Izzat Nagar	Fitter	16	4	6	3	10	39	1	2	1 yr
	Welder	12	3	5	2	8	30	1	1	1 yr
	Carpenter	15	4	6	3	11	39	1	2	1 yr
	Electrician	13	3	5	2	9	32	1	1	1 yr
	Painter	4	1	2	1	3	11	1	0	1 yr
	Total	60	15	24	11	41	151	5	6	
Diesel Shed Izzat Nagar	Electrician	12	3	5	2	8	30	1	1	1 yr
	Mechanic Diesel	12	3	5	2	8	30	1	1	1 yr
	Total	24	6	10	4	16	60	2	2	

Carriage & Wagon Izzat Nagar	Fitter	26	6	10	5	17	64	2	3	1 yr
	Total	26	6	10	5	17	64	2	3	
Carriage & Wagon Lucknow Jn	Fitter	49	12	18	9	32	120	4	5	1 yr
	Welder	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Carpenter	4	1	2	1	3	11	0	1	1 yr
	Trimmer	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Machinist	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Painter	2	1	1	0	2	6	0	0	1 yr
	Total	61	17	24	10	43	155	4	6	
Diesel Shed Gonda	Welder	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Electrician	8	2	3	2	5	20	1	1	1 yr
	Mechanic Diesel	23	5	8	4	15	55	2	2	1 yr
	Fitter	6	1	2	1	3	13	0	1	1 yr
	Total	39	8	13	7	23	90	3	4	
Carriage & Wagon /Varanasi	Fitter	26	7	10	5	18	66	2	3	1 yr
	Welder	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Carpenter	3	0	0	0	0	3	0	0	1 yr
	Trimmer	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Painter	2	0	0	0	0	2	0	0	1 yr
	Total	35	7	10	5	18	75	2	3	
Total	454	110	165	81	294	1104	34	44		

नोट - रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एमपीपी)2003/6/14 दिनांक 09.12.2003 (आर.बी.ई.-213/2003), ई (एनजी)11/2009/आरआर-1/10 दिनांक 23.07.2015 (आर.बी.ई.- 83/2015) और ई (एनजी)11/2017/आरसी-2/1 पालिसी दिनांक 16.02.2018 (आर.बी. ई.- 23/2018) में निहित प्रावधानों के तहत भूतपूर्व और सशस्त्र बलों के बच्चों को 3% आरक्षण एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% उनके अपने समुदाय (अनारक्षित/एससी/एसटी/ओबीसी) से देय है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2019 - ई(एस. सी.टी.)- 1/25/1 दिनांक 07.02.2019 (आर.बी. ई. 21/2019) के अनुसार ई.डब्लू.एस. अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण उनके अपने समुदाय (अनारक्षित) से देय है ।

- आयु सीमाएं:** - अभ्यर्थियों को 25.11.2023 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। एससी/एसटी अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा के मामले में 5 साल तक की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में 3 साल तक की छूट एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट की अनुमति है ।
- आवश्यक योग्यताएँ** - अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख को अधिसूचित ट्रेड में आईटीआई के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित हाई-स्कूल/10 वीं की निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए।
- शारीरिक मानक** — प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा (प्रारूप संलग्न है)। दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी ।
- प्रसंस्करण शुल्क** - उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 100 /- रूपये का भुगतान करना होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई.डब्लू.एस./दिव्यांग(PwBD)/महिला उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क से छूट दी गयी है ।

7. **आवेदन का तरीका** - उम्मीदवारों को अपने आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क (100 /- रू.) पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सूनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस अधिसूचना के अन्तर्गत पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सर्वर दिनांक 25.11.2023 को सुबह 10.00 बजे खोला जायेगा एवं 24.12.2023 को शाम 5.00 बजे बन्द कर दिया जायेगा।
8. **चयन का तरीका** - अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा जो मैट्रिक [न्यूनतम 50% (कुल) अंकों के साथ] और आईटीआई परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक ईकाई/स्थान का चयन कर सकते हैं। यदि उसकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली इकाई आवंटित नहीं हो पाती है तो उसे बाद की पसंद वाली इकाई आवंटित की जायेगी। अभ्यर्थियों को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, निर्धारित फार्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट, 04 अदद पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, सभी मूल प्रमाणपत्रों और प्रशंसापत्रों तथा उनकी छायाप्रति लाना होगा। प्रलेख सत्यापन के बाद, पात्र उम्मीदवारों का आवंटित मण्डल/यूनिट में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा।
9. **प्रशिक्षण और वृत्तिका** - केंद्रीय अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षुओं को निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस के दौरान वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।
10. **अस्वीकरण** - इस अधिनियम के अनुसार, अप्रेंटिसों की अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें कोई रोजगार देना रेलवे की बाध्यता नहीं है। तदनुसार, रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।
11. **अन्य शर्तें** -
- चयन हेतु किसी भी रूप में की गयी पैरवी अयोग्यता मानी जाएगी।
 - जिन अभ्यर्थियों को प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाता है उन्हें किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते, रहने व भोजन सम्बन्धी व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक इस अधिसूचना के आधार पर शिक्षता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं। क्योंकि वे शिक्षता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं।
 - चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षता आर.डी.ए.टी./कानपुर से उनके पंजीकरण के आधार पर होगा।
 - चयनित अभ्यर्थी अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप का अनुबंध निष्पादित करेंगे और यदि अभ्यर्थी नाबालिग है, तो उसके माता-पिता/अभिभावक निर्धारित अनुबंध को निष्पादित करेंगे। अप्रेंटिस प्रशिक्षण सयम-समय पर संशोधित अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम, 1962 के प्रावधानों और नियमों/विनियमों के अधीन होगा।
 - यदि एक अप्रेंटिस शिक्षता प्रशिक्षण को बंद कर देता है और वैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे रेलवे प्रशासन द्वारा भुगतान किय गए वृत्तिका, प्रशिक्षण की लागत और ऐसी अन्य लागतें वापस करनी होंगी जो नियमों के तहत निर्धारित की जा सकती है।
 - यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई भी झूठी घोषणा की गई हो और अभ्यर्थी रेलवे के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जा सकता है। इस संबंध में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।
12. **संचार / सूचनाओं का प्रकाशन** - अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि सभी संचार/सूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर नोटिस प्रकाशित करके किये जाएंगे। किसी स्तर पर कोई व्यक्तिगत बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एसएमएस/ईमेल भेजा जा सकता है। हाँलाकि अभ्यर्थियों को नियमित अंतराल पर पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। संचार / सूचनाओं की प्राप्ति न होना किसी भी दावे का आधार नहीं होगा, चाहे वह जो भी हो। अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि प्रलेख सत्यापन बहुत ही कम समय के नोटिस पर आयोजित किया जाएगा। प्रलेख सत्यापन का शेड्यूल वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सेल
गोरखपुर

SCHEDULE-II (See rule 4)
 Medical Fitness Certificate for Standard of physical fitness
 for Act Apprentice Training in North Eastern Railways

Name of the Candidate-

Father Name-

Category-
 (UR/SC/ST/OBC/EWS/PwBD/Ex-Serviceman/Ward of Ex-Serviceman/Paramilitary/Armed Forces)

Date of Birth-

Age as on -

Trade & Name of Workshop/Unit-

Permanent identification marks 1.
 2.

Recent passport
 size photo as
 uploaded in
 application form

Photo to be
 attested by
 Medical Officer

SN	Standard of physical fitness	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	<p>Height, Weight And Chest- Candidates should satisfy the following minimum standards, namely:- HEIGHT: 137 centimeters; Weight: 25.4 Kilogram; Chest expansion should not be less than 3.8 centimeters irrespective of size of chest: Provided that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices</p>	
3	<p>EYES- There should be no evidence of any morbid condition of either eye or the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity: *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades, namely:- (1) Electrician Aircraft (2) Watch and Clock Mechanic (3) Driver cum Fitter (4) Surveyor (5) Process Cameraman (6) Sirdar (7) Rigger(Engg. & Chem. Industry) (8) Short firer/Blaster(Mines) (9) Mate(Mines) (10) Mech. Radio & Radar Aircraft (11) Ceramic Moduler (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical worker. * Substituted vide GSR 221 dated 21st April 1993. (B) Colour vision: Not required</p>	
4	<p>EARS – Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.</p>	
5	<p>SKIN- There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.</p>	

Should be printed on single page at both sides

6	<u>SPEECH:</u> Speech should preferably be without impediment.	
7	<u>ALIMENTARY SYSTEM:</u> 1. Candidates should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication. 2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area. 3. Liver should not be palpable or tender. 4. There should be no oral sepsis. 5. There should be no sugar in the urine. 6. Candidates should not be suffering from hemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocele or ischia-rectal abscess or hydrocele.	
8	<u>CARDIO VASCULAR SYSTEM:</u> 1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic. 2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100 should be rejected. 3. There should be no sign of any cardiovascular disease.	
9	<u>RESPIRATORY SYSTEM:</u> Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.	
10	<u>GENITO URINARY</u> There should be no evidence of Genito urinary disease or any abnormality.	
11	<u>SKELETAL SYSTEM</u> 1. The function of all limbs should be within normal limits. 2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.	
12	<u>NERVOUS SYSTEM:</u> There should be no evidence of any disease of the nervous system or of any mental disease.	
13	<u>GLANDULAR SYSTEM:</u> There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.	

(Above medical fitness certificate should be signed by Government authorised Doctor (Gaz), not below the rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital.)

Signature of Medical Officer

Name of Medical Officer

Registration No... ..

Designation

Name of Central/State Govt. Hospital

Seal of Medical Officer signing the certificate.....

Should be printed on a single page on both sides